

अध्याय-3

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठन हेतु आवश्यक प्रपत्र एवं उनका प्रारूप

3.1 वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित विभिन्न विकास परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 2014 प्रख्यापित किया गया है, जिसके अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों को ऑन लाईन (Online) प्रेषित किये जाने की प्रक्रिया आरम्भ की गयी है। भारत सरकार के आदेश दिनांक 15-08-2014 से वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव भारत सरकार के पोर्टल www.moef.nic.in पर ऑन लाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य किया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सीज के द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की एक पूर्ण प्रति तैयार की जानी है, जिसमें समस्त सूचनायें/प्रपत्र संलग्न किये जाने हैं तथा इन प्रपत्रों/सूचनाओं में सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों की सहमति/हस्ताक्षर प्राप्त किये जाने हैं।

प्रायः यह देखा गया है कि सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सीज द्वारा ऑन लाईन अपलोड किये जा रहे वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ वांछित सूचनायें संलग्न नहीं की जा रही हैं व अधूरा प्रस्ताव ऑन लाईन नोडल अधिकारी कार्यालय को भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है, अधूरा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के कारण भारत सरकार से परियोजना की स्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब हो रहा है।

3.2 भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाने वाली समस्त सूचनाओं/प्रपत्रों की एक समेकित चेक लिस्ट, जिसमें वन भूमि पर प्रस्तावित समस्त प्रयोजनों हेतु प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाने वाली सूचनाओं/प्रपत्रों का विवरण एवं अलग-अलग प्रयोजनों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ लगाये जाने वाले अतिरिक्त प्रमाण-पत्रों की सूचना निम्नानुसार संलग्न की जा रही है।

आवश्यक प्रपत्रों की सामान्य सूची

सारणी-12

क्र.सं.	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1.	सक्षम अधिकारी/ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का प्रमाण-पत्र	1	प्रस्तावक	प्रस्तावक
3	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1	2	प्रस्तावक	प्रस्तावक
4	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-2	3	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
5	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-3	4	वन संरक्षक	वन संरक्षक
6.	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	5	प्रस्तावक	—
7.	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	6	उप-जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति	समिति के सदस्य
8.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रामाण्य वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट। (Site Inspection Report)	7	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
9.	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफी का मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अलग-अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	8	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ० / जिलाधिकारी
10.	डिजिटल मैप व सी०डी० में प्रस्तावित क्षेत्र को जी०पी०एस० रिडिंग के साथ दर्शाया गया।	9	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ० / जिलाधिकारी
	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण	10	प्रस्तावक	प्रस्तावक /

11.	दर्शाया गया हो।			डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी
12.	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	11	प्रस्तावक	प्रस्तावक
13.	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	12	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी
14.	वैकल्पिक संरक्षण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	13	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
15.	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	14	प्रस्तावक / जिलाधिकारी	प्रस्तावक / जिलाधिकारी / डी0एफ0ओ0
16.	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	15.	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी
17.	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	16	प्रस्तावक	प्रस्तावक
18.	बार चार्ट।	17	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
19.	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	18	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
20.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार / व्यासवार विवरण।	19	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
21.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन / सारांश।	20	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
22.	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	21	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
23.	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण-पत्र।	22	वन संरक्षक	वन संरक्षक
24.	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	23	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
25.	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	24	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
26.	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र।	25	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
27.	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	26	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
28.	राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मा0 उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।	27	प्रस्तावक	-
29.	प्रभावित होने वाले ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	28	प्रस्तावक	प्रस्तावक
30.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में लागत लाभ विश्लेषण की सूचना अंकित करना। लागत लाभ विश्लेषण के प्रपत्रों में परियोजना से होने वाले आर्थिक, सामाजिक एवं पारस्थितिकीय संतुलन का आंकलन। (5.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	29	प्रस्तावक	प्रस्तावक
31.	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	30	जिलाधिकारी / प्रस्तावक	जिलाधिकारी / उप खण्डीय समिति / ग्राम स्तरीय समिति
32.	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	31	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0

33.	गवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले-आउट प्लान	32	प्रस्तावक	प्रस्तावक
34.	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या।	33	भू-वैज्ञानिक	भू-वैज्ञानिक
35.	भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	34	प्रस्तावक	प्रस्तावक
36.	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्क फॉर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	35	प्रस्तावक	प्रस्तावक
37.	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	36	प्रस्तावक	प्रस्तावक
38.	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/ इतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र।	37	जिलाधिकारी/ प्रस्तावक	जिलाधिकारी/ प्रस्तावक
39.	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र।	38	प्रस्तावक	प्रस्तावक
40.	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	39	प्रस्तावक	प्रस्तावक
43.	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/ परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	40	प्रस्तावक	प्रस्तावक
44.	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेन्ट का प्रमाण-पत्र।	41	जिलाधिकारी	जिलाधिकारी
45.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दसवर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1.00 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	42	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
46.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।	43	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
47.	1:50,000 पैमाने का टोपोग्रीफ का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	44.	प्रस्तावक/ डी०एफ०ओ०	प्रस्तावक/ डी०एफ०ओ०
48.	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	45.	प्रस्तावक/ डी०एफ०ओ०	प्रस्तावक/ डी०एफ०ओ०
49.	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण/ दस गुना/बौनी प्रजातियों/100 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	46.	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
50.	प्रस्तावित कार्य हेतु यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना का प्रमाण-पत्र।	47.	प्रस्तावक/भूस्वामी	भूस्वामी/ जिलाधिकारी
51.	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबन्ध ।	48.	प्रस्तावक/भूस्वामी	भूस्वामी/ जिलाधिकारी
52.	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।	49.	प्रस्तावक/ डी० एफ०ओ०	प्रस्तावक/ डी० एफ०ओ०
53.	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन।	50.	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
54.	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	51.	प्रस्तावक	प्रस्तावक
55.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	52.	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
56.	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	53.	डी०एफ०ओ०/ प्रस्तावक	डी०एफ०ओ०/ प्रस्तावक
57.	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन न होने का ना होने का प्रमाण पत्र और होने की दशा में विवरण।	54.	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०/ प्रस्तावक
	जल विद्युत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व	55.	डी०एफ०ओ०/	डी०एफ०ओ०/

58.	कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र।		उच्चस्तरीय समिति	प्रस्तावक
59.	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति। (यदि लागू हो)	56.	प्रस्तावक	—
60	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	57	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
	प्रस्ताव को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना व उक्त प्रस्ताव की दो सी0डी0 पी0डी0एफ0 फारमेट में उपलब्ध कराना।		प्रस्तावक	—

नोट :- उक्त समेकित चैक लिस्ट में समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों का विवरण उल्लिखित है। प्रयोक्ता एजेन्सीज द्वारा प्रत्येक प्रयोजन हेतु इंगित प्रपत्रों को ही प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

3.3 सड़कों के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जाने वाले अतिरिक्त प्रपत्र एवं सूचनायें

सारणी-13

क0सं0	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/ अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1	2	3	4	5
1.	सड़को के चौड़ीकरण के मामलों में पूर्व निर्मित मार्ग एवं चौड़े किये जाने वाले मार्ग के भाग को बार चार्ट में अलग से दर्शाया जाना।	1	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
2.	पूर्व में निर्मित मार्ग की स्वीकृति।	2	प्रस्तावक	—

3.4 सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़कों के निर्माण हेतु संलग्न किये जाने वाले अतिरिक्त प्रपत्र एवं सूचनाये।

सारणी-14

क0सं0	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/ अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1	2	3	4	5
1.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दसवर्षीय योजना समतुल्य वन भूमि की बनायी जानी है।	1	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
2.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु यदि सिविल सोयम भूमि उपलब्ध न हो तो अवनत आरक्षित वन भूमि में दसवर्षीय योजना।	2	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में देघाट-जौरासी मोटर मार्ग का नव निर्माण।
15.00किमी (4.505है०)

चैक लिस्ट प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सभी प्रमाण-पत्र चैक लिस्ट के अनुसार लगाये गये है।


सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
 रानीखेत


अधिरासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
 रानीखेत

फैक्ट सीट

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत देघाट जौरासी मोटर मार्ग का नव निर्माण। 4.505 है०

2- प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है. में) -

आरक्षित वनभूमि	-	-
सिविल राज्य वनभूमि	-	1.110 है०
वन पंचायत वनभूमि	-	3.395 है०
योग	-	4.505 है०
निजी भूमि	-	8.995 है०

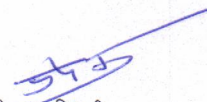
- | | |
|--|---|
| <p>3- प्रस्तावित विभाग का नाम - प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।</p> <p>4- वन प्रभाग का नाम - अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।</p> <p>5- प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है -</p> <p>6- प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है -</p> <p>7- क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1, 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है -</p> <p>8- क्या प्रारूप में बांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है -</p> <p>9- प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है -</p> <p>10- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण-पत्र संलग्न है -</p> <p>11- बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है - बांज वृक्ष प्रभावित नहीं होते हैं।</p> <p>12- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है -</p> <p>13- समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है -</p> <p>14- क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है -</p> <p>15- क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है -</p> <p>16- क्या मानचित्र में क्षतिपूरक स्थल को दर्शाया गया है -</p> <p>17- प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है -</p> <p>18- क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है -</p> <p>19- प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है -</p> <p>यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण-पत्र संलग्न है-</p> | <p>हाँ / नहीं</p> <p>हाँ / नहीं</p> <p>हाँ / नहीं</p> <p>हाँ / नहीं</p> <p>हाँ / नहीं</p> <p>हाँ / नहीं</p> <p>हाँ / नहीं</p> <p>हाँ / नहीं</p> <p>हाँ / नहीं</p> <p>हाँ / नहीं</p> <p>हाँ / नहीं</p> <p>हाँ / नहीं</p> <p>हाँ / नहीं</p> <p>हाँ / नहीं</p> <p>हाँ / नहीं</p> <p>हाँ / नहीं</p> <p>हाँ / नहीं</p> <p>हाँ / नहीं</p> |
|--|---|

क्रमशः पेज 2 पर

- 20- क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है - हाँ / नहीं
- 21- प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है -
(यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें) हाँ / नहीं
- 22- क्या मानचित्र में प्रभावित प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है -- हाँ / नहीं
- 23- यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है - हाँ / नहीं
- 24- क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है - हाँ / नहीं
- 25- यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय। हाँ / नहीं
- 26- सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं - हाँ / नहीं
- 27- वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय) हाँ / नहीं
- 28- लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है (5 है. से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) हाँ / नहीं
- 29- मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है - हाँ / नहीं
- 30- मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है -
अथवा
मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है - हाँ / नहीं
- 31- राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है -- हाँ / नहीं
- 32- क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न है हाँ / नहीं
यदि छायाप्रतियां संलग्न की गई हैं तो क्या वे सत्यापित हैं -
- 33- यदि वनभूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है - हाँ / नहीं
- 34- वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है - हाँ / नहीं
- 35- क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है - हाँ / नहीं
- 36- क्या बैंक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न हैं - हाँ / नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फॉर्म शीट एवं बैंक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई हैं।


अधिशिक्षक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


प्रमाणीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा

परिशिष्ट
(देखिय नियम-6)
राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1	परियोजना विवरण				
A.	अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का विवरण -	जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत दैघाट जौरासी मोटर मार्ग का नव निर्माण। 4.505 है०			
B.	1.50.000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप/डिजिटल मैप	संलग्न है।			
C.	परियोजना की लागत-	579.69 लाख।			
D.	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य-	स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा हेतु।			
E.	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)-	लागू नहीं।			
F.	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना हैं-	निर्माण कार्य से स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा।			
2	कुल आपेक्षित भूमि उद्देश्यवार विवरण-	आरक्षित वनभूमि	राज्य वन भूमि	वन पंचायत भूमि	कुल भूमि
		-	1.110 है	3.3955 है०	4.505 है०
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई है-	आवश्यकता नहीं।			
A.	परिवारों की संख्या-	आवश्यकता नहीं।			
B.	अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या-	आवश्यकता नहीं।			
C.	पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)-	आवश्यकता नहीं।			
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक हैं। (हाँ/नहीं)	नहीं।			
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की बचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)	सभी प्रमाण-पत्र प्रस्ताव पर संलग्न है। वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।			
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।	संलग्न है।			

दिनांक- 20.01.15

स्थान- रानीखेत

(सतीश चन्द्र आर्य)
अधिशायी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान	जनपद अल्मोड़ा में देघाट जौरासी मोटर मार्ग का नव निर्माण उत्तराखण्ड			
i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र				
ii) जिला	अल्मोड़ा			
iii) वन प्रभाग	वन प्रभाग अल्मोड़ा			
iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	राज्य वन भूमि हे. 1.110	वन पंचायत भूमि हे. 3.395	आरक्षित वन भूमि हे. 0	कुल वन भूमि हे. 4.505
v) वन की कानूनी स्थिति	राज्य वन भूमि एवं वन पंचायत भूमि			
vi) हरियाली का घनत्व	.4			
vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 - 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए	781 वृक्ष प्रभावित होते हैं।			
viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	भूक्षरण की कोई सम्भावना नहीं है।			
ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	लगभग 1.50 कि०मी०			
x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयों अनुबन्धित की जाए) यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।			
xi) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	नहीं।			

8	
8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित वन भूमि न्यूनतम है।
9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं।	नहीं।
10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:- i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	संलग्न
ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है
iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	बाज, काफल, उतीस, देवदार आदि
iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिचय।	प्रतिपूरक वनीकरण योजना संलग्न है।
v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।	संलग्न है
11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	
12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल	
i. जिला का भौगोलिक क्षेत्र।	3689.30 वर्ग कि मी

ii.	जिला का वन क्षेत्र।	1309.219 वर्ग किमी
iii.	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।	535 माफले 969.9574 हे
iv.	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण	1944.66 हे
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	1342.643 हे
(ख)	वनेत्तर भूमि पर 2014-15 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	1342.643 हे
(क)	वन भूमि पर	1342.643 हे
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	रिक्त
13-	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	प्रस्ताव स्वीकृति संस्कृति की जायी है।

उप
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दिनांक.....

स्थान.....

नाम

प्रति हस्ताक्षरित

वन दरोगा

वन क्षेत्राधिकारी,
जोरहाटी क्षेत्र

उपप्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी